

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल
क०/निर्माण/पुनर्घनत्वीकरण/20-21/1843

भोपाल, दिनांक: 04/03/2021

प्रति,

संयुक्त संचालक/उप संचालक,
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय
.....(समस्त)

विषय:—शहरी क्षेत्रों में स्थित पुराने मंडी प्रांगणों के परिसरों की पुनर्घनत्वीकरण की जानकारी विषयक।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्थित पुराने मंडी प्रांगणों के परिसरों की पुनर्घनत्वीकरण योजना के अंतर्गत कार्यवाही प्रचलन में है। उक्त योजना के अंतर्गत आपके संभाग के अधिनस्थ प्रस्तावित मंडियों की जानकारी मुख्यालय स्तर पर एकजाई की गयी है जो संलग्न कर प्रेषित है। प्रपत्र के रिक्त कॉलम क० 7 एव 8 में वांछित जानकारी भरकर दिनांक 05.03.2021 तक ई-मेल के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें।


संलग्न:—प्रपत्र ।


(प्रबंध संचालक महोदया द्वारा निर्देशित)

क०/निर्माण/पुनर्घनत्वीकरण/20-21/1844

प्रतिलिपि:—

सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति.....जिला..... की ओर
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अधीक्षण यंत्री
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल
भोपाल, दिनांक: 04/03/2021


अधीक्षण यंत्री
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

शहरी क्षेत्रों में स्थित पुराने मंडी प्रांगणों के परिसरों की पुनर्घनत्वीकरण नीति 2016 के संबंध में
पुनर्घनत्वीकरण योजना की जानकारी

संभाग	मंडी का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)	गाइडलाइन अनुसार दर (प्रति वर्ग मी.)	कीमत	वर्तमान में प्रांगण के उपयोग की स्थिति	वर्तमान में प्रांगण के उपयोग के आधार पर आय	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सागर	1.खुरई	6.74	35,600.0	97,10,18,816		व्यवसायिक काम्पलेक्स एवं प्रथम व द्वितीय तल पर आवासीय भवन प्रस्तावित
		2.खरगापुर	8.28	5,000.0	16,75,39,838		शॉपिंग काम्पलेक्स व 10 स्टॉक क्वार्टर्स का प्रस्ताव
		3.नौगांव	3.08	9,800.0	11,89,77,566		पुनर्घनत्वीकरण योजना के अंतर्गत।
		4.निवाड़ी	संभावित शेष प्रांगण लगभग 1.4 एकड़	3,500.0	1,98,29,594		प्रांगण का एक हिस्सा राजमार्ग के विस्तार के लिये अधिकृत हो रहा है शेष में कार्य कराये जा सकते हैं।
		5.बड़ामलहरा	0.25 डिसमिल	9,000.0	2,75,922		प्रांगण में बस स्टैण्ड संचालित है शेष हिस्से में व्यवसायिक दुकानें प्रस्तावित है
2	जबलपुर	6.करेली	3.6	20,550.0	29,93,86,407		भूमि का मंडी के नाम पर नामांतरण नहीं हुआ न्यायालयधीन प्रकरण
		7.गोटेगांव	1.67	31,500.0	21,28,84,860		भूमि का मंडी के नाम नामांतरण नहीं
		8. नैनपुर	1.6017	8,400.0	5,44,47,534		भूमि का मंडी के नाम पर नामांतरण नहीं हुआ न्यायालयधीन प्रकरण
3	सिवनी	9.सिवनी का पुराना प्रांगण (गंजमंडी)	0.89	18,900.0	6,80,72,165		तकनीकी संभाग का कार्यालय व व्यापारियों हेतु दुकानें एवं गोदाम प्रस्तावित।
		10.अमरवाड़ा (पुराना प्रांगण)	1.0007413 (405 हेक्टेयर)	3,800.0	1,53,90,000		गोदाम 1000 मै. टन, आंतरिक सड़क, दुकानें निर्माण कार्य प्रस्तावित।
4	खरगौन	11.सनावद (पुरानी अनाज मंडी)	3.43	17,000.0	23,59,72,173		पुनर्घनत्वीकरण योजना के अंतर्गत।
	खरगौन	12. सनावद (पुराना मिर्ची प्रांगण)	6.47	23,000.0	60,22,12,641		मंडी क्रियाशील है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	मुरैना	13. भिंड (पुराना प्रांगण)	17.29	66,000.0	4,61,80,29,256			पुनर्घनत्विकरण योजना के अंतर्गत ।
6	रीवा	14. रीवा	0.8	33,000.0	10,68,36,998			प्रकरण न्यायालय में है
		15. चाकघाट	0.16 डिसमिल	13,800.0	2,70,771			स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत दुकानें प्रस्तावित ।
		16. सतना	1.12	10,800.0	4,89,50,770			नगर निगम से न्यायालयधीन प्रकरण
		17. नागौद	2.5	11,000.0	11,12,88,540			स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत दुकानें निर्माणाधीन ।
		18.सीधी	0.42	31,200.0	5,30,30,001			शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण कार्य प्रस्तावित ।
		19.पुराने मंडी प्रांगण अमरपाटन(गौधी चौक)	0.76	32,200.0	9,90,34,660			शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण कार्य प्रस्तावित ।
		7	ग्वालियर	20. डबरा	11.38	16,500.0	75,98,78,151	
		21. शिवपुरी	4.87	15,700.0	30,94,18,563			मंडी संचालित हो रही है ।
		22. मुंगावली	5	7,900.0	15,98,50,812			मंडी संचालित हो रही है ।
		23. चंदेरी	5.167	4,900.0	10,24,59,514			मंडी संचालित हो रही है ।
		24.अशोकनगर	36.38	24,000.0	3,53,33,90,911			मंडी संचालित हो रही है ।
		25. गुना	14.17	35,000.0	2,00,70,38,233			मंडी संचालित हो रही है ।
	ग्वालियर	26. बैराड़ (शिवपुरी)	5 एकड़,खूली भूमि 03 एकड़	15,000.0	18,21,08,520			प्रांगण का व्यवसायिक उपयोग । फल,सब्जी मंडी संचालित ।
8	मंदसौर	27. मंदसौर (पुराना प्रांगण)	2.61	13,000.0	13,73,09,824			किसान माल का कार्य प्रस्तावित है ।
9	भोपाल	28. सुठालिया	2.09	6,700.0	5,66,68,125			100 नग सैंड्रीशॉप निर्माण होकर उपयोग ।
		29. ब्यावरा	2.50	13,400.0	13,55,69,676			28 नग सैंड्रीशॉप एवं 18 नग कर्मचारी आवास निर्मित
		30. खिलचीपुर	0.375	6,200.0	94,08,940			शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के रूप में उपयोग

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	भोपाल	31. सारंगपुर	2.40	22,200.0	21,56,16,488			
		32. जीरापुर	1.78	13,400.0	9,65,25,609			फल सब्जी मंडी का निर्माण
		33. माचलपुर	1.78	19,200.0	13,83,05,351			फल सब्जी मंडी का निर्माण
		34. विदिशा	24.70	12,700.0	1,26,94,58,259			फल सब्जी मंडी का निर्माण
		35. गंजबासौदा	13.922	19,000.0	1,07,04,66,255			मंडी संचालित हो रही है
	योग				17,80,72,13,204			मंडी संचालित हो रही है

प्रदेश के कुल 35 पुराने प्रांगणों की जानकारी एकत्रित की गई, जिनकी वर्तमान में स्थिति निम्नानुसार है:-

1. प्रथम चरण में पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत खुरई, खरगापुर, नौगाँव, सनावद (पुराना अनाज मंडी प्रांगण) एवं भिण्ड के प्रांगणों/परिसरों का चयन किया गया। इस हेतु आयुक्त, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को पत्र क्रमांक 1804 दिनांक 12.11.18 से उक्त प्रांगणों को पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत विकास कार्य की उपरेखा तैयार कराने में सहयोग हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी परस्पर प्रतिलिपि कार्यपालन यंत्री तकनीकी संभाग (संबंधित) को भी दी गई।
2. मंडी प्रांगण निवाड़ी, सनावद (पुराना मिर्ची प्रांगण), शिवपुरी, मुँगावली, चन्देरी, अशोकनगर, विदिशा एवं गंजबसोदा में वर्तमान में कृषि करोबार इन प्रांगणों में ही संचालित हो रहा है। मंडी स्थानान्तरण उपरांत द्वितीय चरण में शामिल किये जाना प्रस्तावित है।
3. शेष 22 प्रांगणों में भूमि नामान्तरण का न होना, फल सब्जी का विकसित होना एवं मंडी स्तर पर अन्य व्यवसायिक योजना के तहत व्यवसायिक काम्पलेक्स निर्माणाधीन / प्रस्तावित होकर या अन्य और तरह के विकास होने से उपयोग हो रहे हैं, के कारण वर्तमान में पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत कार्य कराया जाना संभव नहीं है। मंडी सचिवों को तत्काल भूमि के नामान्तरण आदि कार्यवाही कराने के निर्देश दिये हैं, जिसमें भविष्य में भूमि मंडी के आधिपत्य में रहे एवं भोपाल के तहत इस योजना के तहत सचिव मंडी समिति (संबंधित) एवं कार्यपालन यंत्री तकनीकी संभाग संबंधित की निर्देशित किया जा रहा है कि ये योजना को लागू कराने की कार्यवाही शीघ्र प्रस्तावित/सम्पादित करावें।